न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 479/2018 निर्णय दिनांक :–19.02.2021

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. मांगीलाल पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड़ उम्र 32 वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. रामकुंवार पुत्र श्री जगदीश जाति धाकड़ उम्र 32 वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
3. गोपी पुत्री श्री जगदीश जाति धाकड़ उम्र 38 वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री मथरा जाति गुर्जऱ उम्र बालिग वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज.

उपस्थिति :–
श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्राकर है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की आरजीयात खाता नम्बर 853 ख. न. 1190 रकबा 0.34 है0 कुल किता 1 रकबा 0.34 है0 वाके तनग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि से पहले अप्रार्थीगण नं. 1 आराजी खाता संख्या 244 ख. नं. 1188 रकबा 0.39 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.39 है0 जो वाके तनग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। अप्रार्थी नं. 1 की उक्त वर्णित भूमि में से प्रार्थीगण व अन्य खातेदार काफी वर्षो से भी अधिक समय से अपनी खातेदारी की भूमि में आते–जाते है तथा काश्तकारी कार्य करते है। जो काफी समय से पड़त् भूमि थी परन्तु गलत रूप से सेटलमेंट के दौरान अप्रार्थी नं. 1 की खातेदारी में दर्ज हो गई थी। प्रार्थी अन्य कई खातेदारो के अलावाा अन्य ग्रामवासी भी इसी भूमि में बने हुए रास्ते से आते–जाते रहे है। लेकिन विधिवत् रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण व अन्य खातेदारो को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है और प्रार्थी नं. 1 ने उक्त रास्ते की पड़त भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर प्रार्थीगण के कदीमी रास्ते की पड़त भूमि पर जबरन कब्जा कर बंद करने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। यदि प्रार्थीगण को उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिलवाया गया तो प्रार्थीगण अपनी भूमि में काश्त

नहीं कर पायेगें तथा प्राथीगण व इनके परिवारजन भूखे मर जायेगें। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने–जाने उपयोग– उपभोग करने हेतु उक्त अप्रार्थी नं. 1 की भूमि में से लगभग 20 फिट चौड़ा रास्ता नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार देवली की ओर से जवाब/मौका रिपोर्ट पेश हुई जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी द्वारा चाहा गया ख0 नं0 3328/1.14 भूमि मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है जो ग्राम नासिरदा से श्रीमानसिंहपुरा गांव की ओर जाती है जिसकी किस्म चरागाह है। प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता ख0नं0 1190 रकबा 0.34 है0 भूमि जिसको रास्ता लेने हेतु समपर्ण करने पर इसकी खातेदारी भूमि शेष नहीं बचेगी एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता भी नही है। अतः प्रकारण 251 क पत्रावली संख्या 479/2018 निरस्त योग्य है रिपोर्ट नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न कर श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहरात हुए कथन किया कि तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अतः रास्ता प्रदान करने के आदेश प्रदान करे।

परोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली व रिपोर्ट का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपनी आराजी भूमि ख0 नं0 1190 में जाने हेतु रास्ता चाहता है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख0 नं0 3328 रकबा 1.14 है0 जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है, जिसकी किस्म चरागाह है, से ख0 नं0 2618 व ख0 नं0 2629 की किस्म भी चरागाह है, से रास्ता बनता है। चरागाह से रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि समर्पण करनी पड़ेगी, जिससे खातेदारी भूमि शेष नहीं बचेगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली